funds for setting up of cultural complexes and for carrying out activities in the administrative set up of the cultural complexes.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to submit to the hon. Member that these complexes are set up following the requests of the State Governments. Under this Scheme, you will kindly note, 50 per cent matching contribution is to be made by the State Governments. If the State Governments are prepared for the Scheme, those State Governments will be considered. For example, there are two States, which did not avail of the Scheme, one is Tamil Nadu and the other is Maharashtra. So, you may kindly advise your own State Government to make an application that will be immediately and unhesitatingly considered.

SHRI S.P.M. SYED KHAN: Thank you, Sir. My second supplementary in this.

MR. CHAIRMAN: Now, you should be satisfied with the answer. You may ask your State Government to request the Government of India for this purpose. The question is over.

ऐतिहासिक स्मारकों पर वक्फ बोर्ड का दावा

203. **श्री मुख्तार अब्बास नकवी** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वक्फ बोर्डो ने मस्जिद, कब्र और नमाज जैसे धार्मिक चिन्हों की विद्यमानता का बहाना बनाकर ऐतिहासिक धरोहरों, स्मारकों और स्थानों पर अपने अधिकारों का दावा किया है जिससे देश में व्यापक प्रतिक्रिया और चिन्ता का माहौल है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे बेबुनियादी, गैर – जिम्मेदाराना और असंवैधानिक दावों के विरूध्द क्या कदम उठाने और कानूनी उपचारात्मक कार्रवाइयां करने का विचार रखती है: और

(ग) लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक वक्फ बोर्डो की मौजूदगी का औचित्य क्या है और सरकार ऐसे धार्मिक वक्फ बोर्डो के समाप्त होने की स्थिति में, वक्फ सम्पत्तियों और धार्मिक स्थलों की देखभाल करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश सेन्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने 13.7.05 को घोषणा की कि आगरा स्थित ताजमहल, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 36/40 के अंतर्गत वक्फ सम्पत्ति है और इसे वक्फ सम्पत्ति के रूप में

पंजीकृत किया जाना चाहिए।

(ख) उपर्युक्त को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

(ग) वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत गठित किए जाते है। वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का विचार नही है, अतः वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न नही उठता।

Wakf Board's claim on heritage monuments

†*203. SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether certain Wakf Boards have claimed their rights on certain heritage sites, monuments and places, on the pretext of existence of religious symbols like mosque, graves and prayer leading to an atmosphere of widespread reaction and concern in the country;

(b) if so, the steps and legal remedies Government propose against such baseless, irresponsible and unconstitutional claims; and

(c) the justification for existence of religious Wakf Boards in **a** democratic secular country and the alternative arrangement proposed by Government for maintenance of the religious places and wakf estates in the event of winding up of such religious wakf Boards?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR): (a) The Chairman, UP Central Sunni Wakf Board has pronounced on 13.7.05 that the Taj Mahal, Agra is wakf property u/s 36/40 of the Wakf Act, 1995 and that it should be registered as wakf property.

(b) The above will be challenged by ASI in the Supreme Court of India.

(c) The Wakf Boards are constituted under the Wakf Act, 1995. The winding up of Wakf Boards is not contemplated, so the question of alternative arrangements does not arise.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर से मैं संतुष्ट नही हूं। हमारा मूल प्रश्न यह है कि जो धार्मिक वक्फ बोर्ड हैं, वे कुछ धार्मिक चिहनों के आधार पर कई महान राष्ट्रीय धरोहरों पर दावा ठोक रहे है। मैंने प्रश्न किया है

† Original notice of the question was received in Hindi.

सरकार इन राष्ट्रीय धरोहरों, इन महान स्मारकों, जो कि 1958 में अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए और इस तरह के दावे ठोकने वाले लोगों या बोर्डो के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ? जिन प्रदेश सरकारों के अंतर्गत ये वक्फ बोर्ड है, क्या केन्द्रीय सरकार ने उनको किसी प्रकार के निर्देश दिए हैं या किसी प्रकार का पत्र इस संबंध में लिखा हैं ?

श्रीमती मीरा कुमार : सभापति जी,माननीय सांसद ने बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है । मैं उन्हें बताने चाहूंगी कि ताजमहल को लेकर यू.पी. सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है । इसके अलावा ऐसी किसी भी दावें की सूचना हमारे पास नही है । ऐसा कोई और दावा नही है । जहां तक इस दावे का प्रश्न उठाता है, इस सम्बन्ध में 1904 और 1958 के दो कानून है, उनके तहत एएसआई इस पर कार्रवाई कर रही है ।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया को शायद मैं समझा नही पा रहा हूं या वे समझ नही पा रही है । मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं कि प्रदेश सरकारों के अन्तर्गत ये वक्फ बोडर्स हैं, क्या इस तरह के दावों के संबंध में केन्द्र सरकार ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान लिया है, प्रदेश सरकारों को कोई पत्र या कोई निर्देश दिया है ?

दूसरी चीज़ यह है कि जहां तक दावे की बात है, इसके अतिरिक्त भी दावे ठोके गए है । दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हुमायूं टोंब के बारे में कहा है कि हुमायूं टोंब वक्फ प्रोपर्टी है । आप दिल्ली में रहती है, आपने अखबार में पढ़ा होगा ।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी वक्फ एक्ट, 1995 के सैक्शन 40 के सम्बन्ध में है । इसी सदन की एक जेपीसी वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग के बारे में बनी थी, जो अभी लगभग डेढ़ वर्षो से नही है । उस समय भी चर्चा हुई थी कि क्या वक्फ एक्ट 1995 के सैक्शन 40 के तहत कोई भी वक्फ बोर्ड, किसी भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या राष्ट्रीय धरोहरों के ऊपर दावा ठोक सकती है? क्या उस धारा को खत्म करने के लिए या उस धारा में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव रख रही है, चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है?

श्री सभापति : ठीक है । हो गया ।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सभापति महोदय, एक के बाद एक विवाद खड़े हो गए हैं । यह दावा ऐसा है, जिसके बारे में रोज नया विवाद खड़ा हो रहा है ।

श्री सभापति : वह ठीक है । आपने बता दिया । आप इनसे पूछ रहे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल वक्फ बोर्ड में इस तरह का प्रोविज़न है कि वह स्टेट गवर्नमेंटस को डाइरेक्शन दे सकता है?

श्रीमती मीरा कुमार : माननीय सांसद महोदय की चिन्ता को मैं दूर करना चाहूंगी और यह बताना चाहूंगी कि इसके लिए केन्द्र सरकार पूरी तरह से सक्षम है । हमारी जितनी भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, हम उनकी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है । जहां पर जो भी दावा आएगा, हम उसे उसी के अनुसार देखेंगे, उसको एग्ज़ामिन करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, वह की जाएगी ।

श्री सभापति : श्री शाहिद सिद्दिकी ।

श्री शाहिदि सिद्दिकी : सर, देखने में आया है कि राज्यों में जितने भी वक्फ बोडर्स काम कर रहे हैं, उनके जो चेयरमैन और मैम्बर्स बनाए जाते है, वहां का जो सत्ताधारी राजनीतिक दल होता है, वह अपने लोगो को उसका चेयरमैंन और मैम्बर्स बनाता है । एक मुहावरा है कि अंधा बांटे रेवडी, अपने – अपने खाएं । इसका नतीजा यह हैं कि **...(व्यवधान)...**

شری شاہد صدیقی: سر، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ راجیوں میں جتنے بھی وقف بورڈس کام کر رہے ہیں، ان کے جو چیئر مین اور ممبرس بنائے جاتے ہیں، وہاں کا جوست دھاری راجنیتک دل ہوتا ہے- وہ اپنے لوگوں کو اس کا چیئر مین اور ممبرس بناتا ہے- ایک محاورہ ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑی ، اپنے اپنے کھائیں- اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ...مداخلت...

श्री सभापति : क्वैश्चन कीजिए ।

श्री शाहिद सिद्दिकी : वे राजनीतिक अखाड़े बन गए है और उनका काम मुतासिर हो रहा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पर कुछ गौर करेंगी कि कोई एक ऐसी राष्ट्रीय इंडिपेंडेंट बॉडी हो, जो चेयरमैन और मैंम्बर्स, प्रोफेशनल्स में से और ऐसे लोगों में से बनाए, जो ठीक ढ़ंग से काम कर सकते हों, इससे जुड़े हुए लोग हों, उन्हें वहां पर अप्वांइट किया जाए? एमएलए, एमपी और इस तरह के राजनीतिक लोग वहां पर न अप्वांइट किए जाएं । इसके लिए आप कुछ सोचेंगी, आप कोई रास्ता देखेंगे ।

شری شاہد صدیقی: وہ راجنیتک اکھاڑنے بن گئے ہیں اور ان کا کام متاثر ہو رہا ہے- میں منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس پر کچھ غور کریں گی کہ کوئی ایک ایسی راشٹر یہ انڈ پینڈینٹ باڈی ہو، جو چیئر مین اور ممبرس ، پروفیشنلس میں سے اور ایسے لوگوں میں سے بنائیں، جو ٹھیک ڈھنگ سے کام کر سکتے ہوں، اس سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، انہیں وہاں پر اپوئنٹ کیا جائے- ایم-ایل،اے-، ایم- پی- اور اس طرح سے راجنیتک لوگ وہاں پر نہ ا پوئنٹ کیا جئیں- اس کے لئے آپ کچھ سوچیں گی، آپ کوئی راستہ دیکھیں گی-

†Transliteration of Urdu Script.

श्री सभापति : इसका मतलब यह हैं कि इस मामले के लिए राजनीतिक दल के सदस्य अछूत हैं ।

श्रीमती मीरा कुमारी : सभापति जी, माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है कि प्रान्तों में जो वक्फ बोर्डस है वे राजनीतिक अखाड़े बन गए है ...(**व्यवधान**)...

श्री शाहिद सिद्दिकी : बन चुके हैं । जिस एमएलए को मंत्री नही बनाया जाता है, उसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना देते है ।

شری شاہد صدیقی: بن چوکے ہیں۔ جس ایم۔ ایل۔ اے۔ کو منتری نہیں بنا یا جاتا ہے، اسے وقف بورڈ کا چیئر مین بنادیتے ہیں۔

श्रीमती मीरा कुमारी : आप सुन लीजिए । जो राज्य सरकारें हैं,वे राज्य के वक्फ बोर्ड के सदस्य अप्वाइंट करती है । सबके क्वालिफिकेशंस हैं । उसमें जो क्वालिफिकेशंस हैं, उसके मुताबिक उन्हें अप्वाइंट किया जाता है । अगर आपको इसके बारे में कोई विशेष शिकायत है, जनरल नही, कोई विशेष, स्पेसिफिक शिकायत है, तो आप मुझे उससे अवगत करा दें ।

श्री शाहिद सिद्दिकी : सब जगह एमएलए इसके चेयरमैन हैं । इसकी क्वालीफिकेशन एमएलए होना है ।

شری شاہد صدیقی: سب جگہ ایم۔ ایل۔ اے۔ اس کے چیئر مین ہیں۔ اس کی کو الفکیشن ایم۔ ایل۔ اے۔ ہونا ہے۔

श्री सभापति : श्री प्यारे लाल खंडेलवाल ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश भर में वक्फ बोर्ड की बहुत अधिक सम्पत्ति है, जमीन है, जायदाद है, मकान है । ये धार्मिक संस्थाएं हैं । इन सम्पत्तियों के ऊपर बेहिसाब झगड़े है । ये झगड़े व्यक्तिगत हैं । उस पर अधिकार करने के लिए झगड़े होते है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन झगड़ों को समाप्त करने के लिए सरकार ऎसी कोई व्यवस्था बनाने जा रही है, जिससे सम्पत्ति पर जो अधिकार करने की व्यक्तिगत रूप से कोशिश होती है, उसे रोका जा सकें ?

दूसरे क्या सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का विचार रखती है?

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति जी, ये मूल प्रश्न से बाहर के प्रश्न हैं, मैं फिर भी जवाब दे रही हूं और जवाब यह है कि हमारे पास 1995 का एक अधिनियम है और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जो मिलकर नियमित रूप से इन सब के बारे में विचार – विमर्श करती है । इस काम में जो भी

†Transliteration of Urdu Script.

रुकावटें हैं या जो भी दिक्कतें आ रही है, उनको सुलझाने पर पूरा गौर करती है । सभापति जी, मैं सम्मानित सदस्य को फिर गुजारिश करूंगी कि अगर उन्हें कोई स्पैसिफिक दिक्कत या शिकायत आयी है तो वह हमें दे दें । हम उसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सामने जरूर रखेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न संख्या 204.

पिछड़े वर्गो के रूप में मान्यता

*204. **श्री नन्द किशोर यादव** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्गो के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु सभी आवेदन – पत्रों की जांच करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय अब तक प्राप्त हुए आवेदनों तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष लंबित पड़े आवेदन पत्रों की राज्यवार संख्या कितनी – कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां । राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने वाले सभी आवेदनों का परीक्षण करता है ।

(ख) ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की संख्या	आयोग के समक्ष लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	76	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	4	3
4.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	2
5.	बिहार	39	2
6.	छत्तीसगढ़	1	1
7.	चंडीगढ़	7	0
8.	दिल्ली	29	4